बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक ..../ पटना, दिनांक...............................

संoसंo– 03/उoनिo/प्रशिo (सिपेट)–02–09/2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेo एवं हक),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), हाजीपुर द्वारा राज्य के 1700 (एक हजार सात सौ) बेरोजगार युवकों/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में 06 (छः) माह का आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹12,60,72,000.00 (बारह करोड़ साठ लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), हाजीपुर द्वारा राज्य के 1700 (एक हजार सात सौ) बेरोजगार युवकों/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में 06 (छः) माह का आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹12,60,72,000.00 (बारह करोड़ साठ लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

(2) कुल 1700 (एक हजार सात सौ) बेरोजगार युवकों/युवतियों को छः माह को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएग। जिसमें सामान्य जाति के 1122 अनूसचित जाति के 570 एवं अनुसूचित जनजाति के 68 शिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षणार्थी रहेगे।

(3) प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान संस्थान को **BSDM** पटना श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 463 दिनांक 30.06.2017 के अनुसार किया जाएगा।

(4) **BSDM** पटना को पोर्टल यूजर चार्ज का भुगतान श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 463 दिनांक 30.06.2017 के अनुसार किया जाएग।

(5) आवासन हेतु संस्थान को **BSDM** के दर 200 रूपया प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से भुगतान किया जाएगा।

(6) प्रशिक्षण अवधि प्रतिदिन न्यूनतम छः घंटा से कम नहीं रहेगा। कुल प्रशिक्षण अवधि छः माह (900घंटा) होगा। प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमिडिएट/आईटीआई उत्तीर्ण होगा।

(7) संस्थान को थर्ड पार्टी एसेसमेंट **BSDM** के अधिकृत एजेंसी से कराना होगा।

(8) उपर्युक्त आवासीय प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स Machine Operator Plastics Processing, MachineOperatorInjection Moulding, Machin Operator -Blow Moulding, Machine Operator-Tool Room, Machine Operator-Plastics Extrusion में दिया जाएगा।

(9) सिपेट, हाजीपुर द्वारा उक्त योजना अन्तर्गत कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का कम से कम 70-75% का नियोजन कराया जायेगा। नियोजित व्यक्तियों को एक साल ट्रेकिंग किया जाएगा तथा प्रतिवेदन **BSDM** के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(10) प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत राशि का व्यय (**संलग्न परिशिष्ट–I**) एवं इच्छुक अभ्यर्थियों का चयन (**संलग्न परिशिष्ट–II एवं III**) के दिशा–निर्देश के अनुरूप की जायेगी।

क्रमशः पृष्ट–02 पर

(11) प्रशिक्षण हेतु राशि की स्वीकृति **BSDM** के पत्रांक–986 दिनांक–30.11.2017 द्वारा निर्धारित कास्ट कटैगरी के अनुसार की जाएगी। संस्थान के लिए चिन्हित ट्रेड **BSDM** के अनुसार कास्ट कटैगरी–01 के अंतर्गत हैं। इस राशि का व्यय निम्न विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट उपबंध में यथेष्ट उपलब्ध राशि से की जायेगी :–

क्र0सं0	बजट शीर्ष का नाम	स्वीकृत राशि
i.	मुख्य शीर्ष 2852– उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष 0135–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, मांग सं0–23 विपत्र कोड 23–2852801020135, के विषय शीर्ष–0135.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित	₹83207520
ii.	मुख्य शीर्ष 2852– उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0102– इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, मांग सं0–23 विपत्र कोड 23–2852807890102, के विषय शीर्ष–0102.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित	₹37821600
iii.	मुख्य शीर्ष 2852– उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोगता उद्योग, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष 0101–आर्थिक सहायता, मांग सं0–23 विपत्र कोड 23–2852087960101 के विषय शीर्ष–0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित	₹5042880
	कुल राशि :–	₹126072000

(रूपये बारह करोड़ साठ लाख बहत्तर हजार मात्र)

(12) स्वीकृत राशि कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, लेखा, उद्योग निदेशालय, पटना होगें, जो नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी BTC फार्म 46 पर कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना के पी0एल0 खाता नं0–P.L.A-277 में उपलब्ध करायेगें।

(13) उद्योग मित्र में रक्षित राशि को समय–समय पर उद्योग निदेशक द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में सिपेट, हाजीपुर एवं **Bihar Skill Development Mission (BSDM)** पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।

(14) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम का क्रियान्वयन/नोडल एजेंसी होगे। जिनके द्वारा सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), हाजीपुर से MOU किया जाएगा।

(15) स्वीकृत राशि में से 30 प्रतिशत राशि का व्यय जेंडर बजट में की जाएगी।

(16.) प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान **BSDM** के ज्ञापांक–944 दिनांक–22.11.2017 द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशो के अनुरूप निम्न रूप मे की जायगी।

(i) प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत भुगतान– एक तिहाई प्रशिक्षण अवधि अथवा प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाने के एक माह बाद एवं अच्छादित अवधि में 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर भुगतेय।

(ii) प्रशिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत भुगतान–प्रशिक्षण समाप्त होने एवं अधिकृत एजेंसी से एसेसमेंट उत्तीर्ण आवेदको के आधार पर भुगतेय।

(iii) प्रशिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत भुगतान–50प्रतिशत नियोजन/स्वनियोजन के बाद भुगतेय।

(iv) प्रशिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत भुगतान–12 माह तक नियोजितो के ट्रेकिंग के बाद भुगतेय।

(17) इस योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें। वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगें।

(18) स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड अंकित करेगें।

(19) प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री की स्वीकृति संचिका सं0सं0–03/उ0नि0/प्रशिक्षण(सिपेट)–02–09/18 के पृष्ठ–05/टि0 पर दिनांक–20.12.18 को प्राप्त है। जिसका गै0स0प्रे0सं0–355 दिनांक–20.12.2018 हैं।

क्रमशः पृष्ट–03 पर.

(20) प्रस्ताव पर प्रधान सचिव उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका सं0सं0–03/उ0नि0/प्रशिक्षण(सिपेट)–02–09/18 के पृष्ट–05/टि0 पर दिनांक–19.12.2018 को प्राप्त है।जिसका गै0स0प्रे0सं0–3265 दिनांक–19.12.2018 हैं।

(21) यह राज्यादेश संचिका सं0–03/उ0नि0/प्रशिक्षण(सिपेट)–02–09/18 के पृष्ठ–07/टि० पर दिनांक–26.12.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

(22) राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0 (2) दिनांक–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.1998 की कंडिका– 2 एवं 15 एवं पत्रांक–2938 वि0 (2) दिनांक–08.04.08 के आलोक में किया जायेगा, तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि(2) दि0–05.10.2007 के आलोक में स्वीकृत राशि के निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

<u>अनुलग्नक :– परिशिष्ट – I, II एवं III</u>

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4779 / पटना, दिनांक 28/12/2018

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मिशन निदेशक **BSDM** पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र,इंदिरा भवन, पटना/आय–व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 (स0), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा–03, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ/उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–I

प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत राशि का व्यय निम्नवत होगा :–

(क)

(आवासीय)

क्रमांक	कोटि	प्रशिक्षणार्थियो की सं0	सिपेट को भुगतान की जाने वाला प्रशिक्षण शुल्क	आवासन शुल्क	BSDM, Patna को पोर्टल यूजेज के लिए भुगतान की जाने वाली राशि	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	सा0 जाति	1122	42310620	40392000	504900	83207520
2.	अनु0जाति	510	19232100	18360000	229500	37821600
3.	अनु0जनजाति	68	2564280	2448000	30600	5042880
कुल :–		**1700**	**64107000**	**61200000**	**765000**	**126072000**

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive sujeet Dharmendra sir \Sanction Order/2015-16---------225

<u>परिशिष्ट–II</u>

क्र0	आवासीय कोर्स का नाम	सामान्य जाति के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
(i)	Machine Operator Plastics Processing	**264**	**120**	**16**	**400**
(ii)	MachineOperatorInjection Moulding	**264**	**120**	**16**	**400**
(iii)	Machin Operator - Blow Moulding	**198**	**90**	**12**	**300**
(iv)	MachineOperator-Tool Room	**198**	**90**	**12**	**300**
(v)	Machine Operator-Plastics Extrusion	**198**	**90**	**12**	**300**
	Total :-	**1122**	**510**	**68**	**1700**

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive_sujeet_Dharmendra sir_\Sanction Order/2015-16---------223

परिशिष्ट–III

कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के चयन हेतु दिशा निर्देश।

1. प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को उनसे आवेदन प्राप्त करने के लिये राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

2. कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के युवा/युवतियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), हाजीपुर द्वारा जागरूकता अभियान राज्य के सभी जिला में किया जाएगा।

3. सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), हाजीपुर द्वारा निर्धारित अहर्त्ताओं के अनुसार इंच्छुक अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएगे। आवेदन को संस्थान द्वारा **BSDM** के पोर्टल पर अपलोड किया जाएग। चयन के पश्चात 40–40 व्यक्तियों का On Line बैच का निर्माण कर विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाएगा।

4. अभ्यर्थियों का चयन महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, हाजीपुर की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा की जाएगी जिसमें महाप्रबंधक–अध्यक्ष, उप प्राचार्य, आई0 टी0 आई0, जिला कल्याण पदाधिकारी–सदस्य एवं प्रभारी, सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), हाजीपुर –सदस्य सचिव होगे।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive_sujeet_Dharmendra sir_\Sanction Order/2015-16---------224